संख्या– 216/पचासी-2014-7(परती)/2013

प्रेषक,

ध्यान पाल सिंह चौहान,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध् निदेशक,
उ0प्र0 भूमि सुधार निगम,
भूमि-मित्र भवन, विभूति खण्ड,
गोमतीनगर, लखनऊ।

परती भूमि विकास अनुभाग लखनऊ दिनांक 22 मार्च, 2014

विषय- उ0प्र0 सोडिक लैण्ड रिक्लेमेशन प्रोजेक्ट-111(विश्व बैंक पोषित) के क्रियान्वयन के लिए वित्तीय वर्ष 2013-14 हेतु वित्तीय स्वीकृति प्रदान किया जाना।

महोदया,

उपर्युक्त् विषयक आपके पत्रांक -1005/विनि/बजट/2013-14, दिनांक 13 मार्च, 2014 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वर्तमान वित्तीय वर्ष 2013-14 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्षक-2402-मृदा तथा जल संरक्षण-आयोजनागत-103-भूमि सुधार तथा विकास-97-वाह्य सहायतित योजनाएं-9704-उ0प्र0 सोडिक लैण्ड रिक्लेमेशन प्रोजेक्ट -।।।(विश्व बैंक पोषित योजना) के मानक मद-20-सहायता अनुदान-सामान्य(गैर वेतन) के अन्तर्गत रूपये 365000 हजार (छत्तीस करोड् पचास लाख मात्र) की स्वीक़ति अनुदान संख्या-11 लेखाशीर्ष्2402-मृदा तथा जल संरक्षण आयोजनागत-102-मृदा संरक्षण-10-नाबार्ड सहायतित इन्टीग्रेटेड रेन वाटर मैनेजमेन्ट (वाटरशेड डेवलपमेन्ट) प्रोजेक्ट के मानक मद-42-अन्य व्यय मे रूपये 365000 हजार (छत्तीस करोड् पचास लाख मात्र) के पुनर्विनियोग (बीएम-9 संलग्न) करते हुए श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2- धनराशि के उपयोग का अनुश्रवण सम्बन्धित आहरण एवं वितरण अधिकारी सुनिश्चित करेगा जो इसके एकाउण्टस भी तैयार कराकर ससमय उपलब्ध करायेंगे।

3- यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त धनराशि का आवंटन मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है, जिन मामलो में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल और फाइनेन्शियल हैण्ड बुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्ष्म प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलो में व्यय करने से पूर्व स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

4- उक्त धनराशि का उपयोग योजना की विश्व बैंक द्वारा अनुमोदित कार्ययोजना तथा कार्ययोजना के अनुरूप विश्व बैंक के दिशा निर्देशों के अनुसार सुनिश्चित किया जायेगा तथा धनराशि का व्यय केवल उन्ही मदों पर किया जायेगा जिस मद के लिए धनराशि स्वीकृति की गयी तथा आय-व्ययक में प्राविधानित है। किसी अन्य भिन्न मद में न ही इसका व्यय किया जायेगा और न ही एक मद से दूसरे मद में इसका डायवर्जन किया जायेगा। उक्त धनराशि का व्यय उन्ही मदों में किया जायगा, जिसके लिए विश्व बैंक द्वारा रिट्रोएक्टिव फाइनेन्सिंग के अन्तर्गत धन देने के लिए सहमति दी गयी है।

5- स्वीकृत की जा रही धनराशि को व्यय करते समय विश्व बैंक तथा भारत सरकार द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों, मार्गदर्शक सिद्धान्तों तथा फाइनेन्शिंग एग्रीमेन्ट के प्राविधानों का पालन किया जायेगा।

http://shasanadesh.up.nic.in

6- उक्त योजना का पूरा विवरण वेबसाइट पर उपलब्ध कराया जायेगा। योजना का इमपैक्ट एससमेन्ट कराया जायेगा और उसका समुचित फीडबैक दिया जायेगा। योजना के कार्य पूर्ण हो जाने पर योजना की कार्यो की पूर्णता का पूरा विवरण उपलब्ध कराया जायेगा।

7- उक्त व्यय वित्तीय वर्ष 2013-14 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-11 के लेखाशीष्क-2402-मृदा तथा जल संरक्षण-आयोजनागत-103-भूमि सुधार तथा विकास-97-वाह्य सहायतित योजनाएं-9704-उ0प्र0 सोडिक लैण्ड रिक्लेमेशन प्रोजेक्ट -।।।(विश्व बैंक पोषित योजना) के मानक मद-20-सहायता अनुदान-सामान्य(गैर वेतन) के नामे डाला जायेगा।

8- स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय इसी वित्तीय वर्ष में सुनिश्चित किया जायेगा, यदि कोई धनराशि अवशेष् रह जाती है तो उसे नियमानुसार समर्पित कर दिया जायेगा।

9- यह आदेश वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-1 अशासकीय संख्या-ई-1-198/दस-2014, दिनांक 22 मार्च, 2014 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

(ध्यान पाल सिंह चौहान)
विशेष् सचिव।

<u>संख्या– 216(1)/पचासी-2014-7(परती)/2013-तद्दिनांक-</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
3. सचिव, भारत सरकार, कृषि मंत्रालत्र, कृषि एवं सहकारिता विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली।
4. सचिव, वाह्य सहायतित परियोजना विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
5. कृषि निदेशक, उ0प्र0, कृषि भवन, लखनऊ ।
6. वित्त नियंत्रक, उ0प्र0 भूमि सुधार निगम, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लख्नऊ।
7; कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लख्नऊ ।
8. वित्त (व्यय नियंत्रक) अनुभाग-1/कृषि अनुभाग-3/कृषि अनुभाग-5।
9. अनुभागीय आदेश् पुस्तिका।

आज्ञा से,

(मनिराम सिंह)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in